



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर एनडीपीएस एक्ट में अभियुक्त को 15 (पन्द्रह) माह का कारावास व ₹5,000 के अर्थदंड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना जलालपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0-04/2022 धारा-8/20 एनडीपीएस एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय ईसी एक्ट कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त (हिस्ट्रीशीटर) बलवान उर्फ बाबा बसोर पुत्र राजा भईया निवासी भेडी थाना जलालपुर जनपद हमीरपुर को दोष सिद्ध करते हुए 15 (पन्द्रह) माह का कारावास व ₹5,000 अर्थदंड से दण्डित किया गया।



अभियोजक-
एडीजीसी श्री प्रवीण
भदौरिया



विवेचक-
उ0नि0 राजेश
कुमार साहू



पैरोकार- थाना जलालपुर
हे0का0 मनोज कुमार